फर्द अहकाम

फूला बनाम चौरज

यालय ACEM(F.T.) शाहपुरा

या 21/17 प्रा.प्र.T.I

विशे	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/6/19	मा.अ.पत्रावली राजस्व कोर्ट अदालत के समक्ष ~~चल रही थी~~ पेश हुई, अब वादका निर्णय हो गया है। अब इस प्रा.पत्र T.I का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः प्रा.पत्र T.I खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल हुआ दौसर नम्बर से लगे। अब वाद के दर्ज नहीं रहते।	

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)